



पर्यावरण कषतपूरत शिल्क

परीलमिस के लयि:

ग्रेडेड एक्शन रसिपांस प्लान, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नयितरण) प्राधकिरण

मेन्स के लयि:

पर्यावरण कषतपूरत शिल्क लगाने से संबंघति तथ्य

चरचा में क्यो?

हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नयितरण) प्राधकिरण [Environment Pollution (prevention & Control) Authority-EPCA] ने दलिली में [ग्रेडेड एक्शन रसिपांस प्लान](#) (Graded Action Response Plan) के तहत वायु प्रदूषण की आपातकालीन श्रेणी के दौरान ट्रकों के आवागमन पर प्रतबिंध के स्थान पर पर्यावरण कषतपूरत शिल्क लागू कयि है।

मुख्य बदि:

- EPCA द्वारा दलिली के बॉर्डर पर स्थति 13 रेडयो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली (Radio Frequency Identification-RFID, System) आधारति टोल बूथों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह नरिणय लयि गयि।
- टोल बूथों पर RFID प्रणाली प्रारंभ होने तथा पर्यावरण कषतपूरत शिल्क लागू होने से पहले दलिली में लगभग 8000 ट्रक प्रतदिनि प्रवेश करते थे, इस प्रणाली के लागू होने के बाद इनकी संख्या 3664 प्रतदिनि हो गई है।
- टोल बूथों पर केश लेन अथवा फ्री लेन का उपयोग कर पर्यावरण कषतपूरत शिल्क से बचने वाले ट्रकों की संख्या 33% से घटकर 18% हो गई है।
- EPCA के अनुसार, ट्रकों पर प्रतबिंध लगाने से दलिली बॉर्डर पर स्थति टोल बूथों पर ट्रकों की संख्या बढ़ने के कारण जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अतः पर्यावरण कषतपूरत शिल्क ट्रकों पर पूरणतः प्रतबिंध लगाने की अपेक्षा ट्रकों की संख्या कम करने का अच्छा माध्यम है।

रेडयो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली


(Radio Frequency Identification -RFID, System):

- RFID प्रणाली के अंतरगत कसिी वस्तु या वाहन से जुड़े टैग पर संग्रहीत जानकारी को पढ़ने और समझने के लयि रेडयो तरंगों का उपयोग कयि जाता है।
- इस तकनीक के माध्यम से कसिी टैग को कई फीट की दूरी से पढ़ा जा सकता है और इसे पढ़ने के लयि स्कैनर या रीडर का एक सीधी रेखा में होना आवश्यक नहीं है।
- RFID प्रणाली की सहायता से टोल बूथों पर बनिा रुके डजिटिल रूप से भुगतान कयि जाता है।
- जैसे ही कोई वाहन टोल बूथ को पार करता है वैसे ही सेंसर RFID प्रणाली के माध्यम से टैग की पहचान कर लेता है तथा टोल राशस्विचालति रूप से काट ली जाती है।

MEASURES UNDER 'SEVERE PLUS' CATEGORY OF GRAP

'Severe plus' is when PM2.5 and PM10 levels are above 300 and 500 micrograms per cubic metre. These measures come into force when air quality remains in 'severe plus' for over 48 hours

- **Stop construction activities** | Announced till Nov 5
- **Introduce odd-even scheme** | To start from Monday
- **Task force can take additional steps like shutting down schools** | Announced till Nov 5
- **Stop entry of trucks into Delhi** | EPCA says it will not impose this measure



WHY RFID IS DOING WELL

ECC vehicles that entered Delhi between October 1-31: 1,09,941 (3,664 per day)	Average vehicles that were entering Delhi before October: Around 8,000 per day	No. of defaulters in Oct: 9,933 (9% of total)
Vehicles that were empty: 20,454	Daily average traffic on both eastern and western peripheral expressways: 70,000 vehicles per day (Up from 30,000 per day last year)	

File photo

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण

[Environment Pollution (Prevention & Control) Authority-EPCA]:

- EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक संस्था है जो केंद्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये उपाय सुझाने का कार्य करती है।
- इसकी अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 1998 में जारी की गई थी।
- यह संस्था प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिसिपांस प्लान (GRAP) लागू करने का भी कार्य करती है।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/environment-compensation-charge>